

प्रेस नोट दिनांक-28.12.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 09 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त 01-गोविन्द पटेल पर थाना मानिकपुर, नवाबगंज, लालगंज व जनपद कौशाम्बी में हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अपराध के 14 अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त 02-सुखराम पर थाना मानिकपुर, नवाबगंज, कुण्डा, संग्रामगढ़ व जनपद प्रयागराज में हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अपराध के 15 अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्तों को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत हरिसकरी पर बाबा मजार के पास गुमटी में बहद ग्राम ऐंटू के पास से गिरफ्तार किये गये-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अचन्त्य शुक्ल मय हमराह का० संजीव के कुमार, का०अनुज कुमार, का० रणजीत सिंह, का० हरवीर सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत हरिसकरी पर बाबा मजार के पास गुमटी में बहद ग्राम ऐंटू के पास से 02 अभियुक्तों 1. गोविन्द पटेल पुत्र चौधरी पटेल उम्र करीब- 26 वर्ष, 2. सुखराम पुत्र चौधरी पटेल उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण त्रिलोचनपुर लालाबाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को 09अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किये गये।

अभियुक्तों के पास से 09अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना मानिकपुर में मु0अ0स0 295/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. गोविन्द पटेल पुत्र चौधरी पटेल उम्र करीब- 26 वर्ष निवासी त्रिलोचनपुर लालाबाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

02. सुखराम पुत्र चौधरी पटेल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी त्रिलोचनपुर लालाबाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त 01. गोविन्द पटेल पुत्र चौधरी पटेल उम्र करीब- 26 वर्ष निवासी त्रिलोचनपुर लालाबाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 49/18, धारा 286/379/411 भादवि, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 103/18, धारा 307/411/414/419/420 भादवि, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
03. मु0अ0सं0 105/18, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
04. मु0अ0सं0 159/18, धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
05. मु0अ0सं0 958/20, धारा 379/411 भादवि, थाना को0 नगर, जनपद प्रतापगढ़
06. मु0अ0सं0 317/21, धारा 379/411 भादवि, थाना को0 नगर, जनपद प्रतापगढ़
07. मु0अ0सं0 713/21, धारा 379/411 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़
08. मु0अ0सं0 733/21, धारा 379/411 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़
09. मु0अ0सं0 756/21, धारा 379/411/413/419/420/467/468 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़
10. मु0अ0सं0 235/22, धारा 380/457 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़
11. मु0अ0सं0 121/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़
12. मु0अ0सं0 122/22, धारा 411 भादवि, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़
13. मु0अ0सं0 443/20, धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि, थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।
14. मु0अ0सं0 295/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

02. अभियुक्त सुखराम पुत्र चौधरी पटेल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी त्रिलोचनपुर लालाबाजार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

01. मु0अ0सं0 230/18, धारा 379/411/414/413 भादवि, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 142/19, धारा 379/411 भादवि, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़
03. मु0अ0सं0 38/20, धारा 379/411 भादवि, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़
04. मु0अ0सं0 94/20, धारा 379 भादवि, थाना सलोन, जनपद रायबरेली
05. मु0अ0सं0 48/20, धारा 411/413/414/417/465/468/471 भादवि, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़
06. मु0अ0सं0 43/20, धारा 379/411 भादवि, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
07. मु0अ0सं0 187/22, धारा 34, 379, 411 भादवि, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
08. मु0अ0सं0 161/22, धारा 379/411 भादवि, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़
09. मु0अ0सं0 442/22, धारा 379/411/414 भादवि, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़
10. मु0अ0सं0 447/22, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़
11. मु0अ0सं0 450/22, धारा 401/411/414/420/465/468/471 भादवि, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़
12. मु0अ0सं0 97/23, धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़
13. मु0अ0सं0 83/20, धारा 379/411 भादवि, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज

14. मु0अ0सं0 345/22, धारा 379/411 भादवि, थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज
15. मु0अ0सं0 295/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 09 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अचन्त्य शुक्ल मय हमराह का० संजीव के कुमार, का०अनुज कुमार, का0 रणजीत सिंह, का0 हरवीर सिंह थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा विद्युत बिल वसूली के दौरान बाधा एवं हमला प्रकरण से संबंधित 01 अभियुक्त नवल किशोर उर्फ सुनील को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर तिराहे के पास से किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2025 को 33/11 केवी विद्युत बिल वसूली के दौरान ग्राम पूरे तोरई में आरोपियों नवल किशोर उर्फ सुनील व शानू गौतम ने वसूली कार्य में बाधा डालते हुए गाली-गलौज की। थोड़ी दूरी पर दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर निविदा कर्मचारी पर लोहे की रॉड व सरिया से हमला किया, जिसमें उनका बायाँ हाथ फ्रैक्चर हो गया तथा सिर में गंभीर चोट आई। इस संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 197/25 धारा 121(2),132,115(2),352,351(3) बीएनएस बनाम 02 नामजद व 02 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह का0 मनीष कुमार व का० दिनेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 197/25 धारा 121(2),132,115(2),352,351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त नवल किशोर उर्फ सुनील पुत्र अमृतलाल नि०ग्रा० पूरे तोरई कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 31.08.2025 को बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिल वसूली हेतु मेरे घर आए थे तथा कनेक्शन काटने की धमकी दी थी। उसी संबंध में मैं अपने भाई आदर्श उर्फ सानू के साथ बिजली घर जा रहा था, तभी बाजार में बिजली कर्मचारियों से मुलाकात होने पर

विवाद हो गया, जिसमें धक्का-मुक्की के दौरान एक कर्मचारी गिर पड़ा। बाद में जेई द्वारा हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसके भय से मैं पुलिस से छिपता रहा और आज पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नवल किशोर उर्फ सुनील पुत्र अमृतलाल नि०ग्रा० पूरे तोरई कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० राजीव वर्मा मय हमराह का० मनीष कुमार व का० दिनेश यादव थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।